

09.01.18

वकील वादी एवं प्रतिनिधि (मउप. नहीं हुए)
पत्रावली में बार-बार आवाज दिलाई गई किंतु
वादी अयालतन या वकालतन उपस्थित नहीं हुए।
अतः प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में
स्कारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से
कम हो एवं बार वकालत जमा जिला अफि-
लेखागा हो। (१३)

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी (स०मा०)